आदेश	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया व स्वयं प्रार्थिया हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी न तो वकील प्रार्थिया हाजिर और ना ही प्रार्थिया स्वयं हाजिर अतः प्रार्थना पत्र अवार्ड निर्देशार्थ को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी प्र. उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner